निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–56/2021
दायरा दिनांक :–15.04.2021
निर्णय दिनांक :–14.05.2022

उनवान

1. कृष्ण शर्मा आयु 41 वर्ष पुत्र श्री गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण
2. राजेन्द्र शर्मा आयु 38 वर्ष पुत्र श्री गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण
3. कमल शर्मा आयु 35 वर्ष पुत्र श्री गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण
4. विकास शर्मा आयु 32 वर्ष पुत्र श्री गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण

बनाम

1. प्रेम बाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्री मोहनलाल पत्नि श्री गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी म.नं. 349, ओपेरा हॉस्पिटल के सामने, महावीर नगर–द्वितीय, कोटा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,91,92ए,53 आर टी ए एक्ट

निर्णय दिनांक :– 14.05.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री हरियोम चतुर्वेदी – वाद
2.श्री योगेश शर्मा–प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 (ए) व 53 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल खेड़ी (श्यामपुरा) पटवार हल्का बैंगना तहसील बारां हाल खाता संख्या नया 57 पुराना 53 खसरा नं. 19 क्षे0 5.8800 है0 किस्म माल–2 लगानी 70.56 रूप्ये। वाके माल हरिपुरा पटवार हल्का बटावदा तहसील बारां हाल खाता संख्या नया 84 पुराना 82 खसरा नं0 446 क्षे0 6.2100 है0 किस्म माल–1 लगानी 93.15 रूप्ये। उक्त पैतृक आराजियात प्रतिवादिय क्रम 01 को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है। जिसे प्रस्तुत वाद में विवदित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादीगण प्रतिवादयि क्रम 01 के पुत्र है। प्रतिवादिया क्रम 01 ने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के बाद आखातीज 2010 में 10 वर्ष पूर्व उक्त वर्णित आराजियात का अपने पुत्रों के साथ मिल बैठकर बाहमी बंटवारा कर 5 हिस्से कर लिये थे। वाके माल खेड़ी (श्यामपुरा) की आराजी में 1 [illegible] सा वादी क्रम 01 कृष्ण शर्मा को दिया व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:59 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष सदस्य
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

1/5 हिस्सा वादी कम 04 विकास शर्मा को दिया एवं वाके माल हरिपुरा की आराजी में 1/5 हिस्सा वादी कम 02 राजेन्द्र शर्मा व 1/5 हिस्सा वादी कम 03 कमल शर्मा को दिया। वादीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार दखल में दी गई आराजी के प्श्चात दोनों खातों की शेष बची आराजी 1/5 प्रतिवादिया कम 01 के हिस्से में रही। वादीगण व प्रतिवादी कम 1 प्रत्येक को 1/5 क्षे. 2.4180 है0 आराजी हिस्से में मिली है। बाहमी बंटवारा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादिया कम 01 अपने 1/5 – 1/5 हक हिस्से की आराजी को काश्त कर आराजी का प्रतिफल प्राप्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजियात प्रतिवादिया कम 01 के खाते में दर्ज होने के कारण वादीगणों को अपने हक हिस्से की आराजियात का विकास एवं सुधार करेन हेतु के.सी.सी ऋण एवं सहकारी फसल नुकसानी मुआवजा प्राप्त करने हेतु भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कारण वादीगण आखातीज 2010 को बाहमी बंटवारे में मिले हक हिस्से की आराजी के खातेदार कृषक होने की विधिक प्रास्थितिकी की घोषण करवाकर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खाते दर्ज करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण वादपत्र में वर्णित आराजियात का विधिवत विभाजन करवाकर अपना खाता पृथक–पृथक करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक अंकन दर्ज करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है।

वादी गण का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 01 की ओर से इकवाली जवाब पेश हुआ। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेड़ी सम्वत 2070–73 खाता सं0 57 पेश की गई। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–76, नकल जमाबन्दी ग्राम हरीपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं0 84 नकल, खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–76 , नकल नक्शा नक्शा ट्रेस ग्राम खेड़ी नकल नक्शा ट्रेस ग्राम हरिपुरा पेश किया गया। साक्ष्य वादी में कृष्ण शर्मा, कमल शर्मा, एवं प्रेमबाई के शपथ पत्र पेश हुए।

उभय पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जर्ये अभिभाषक राजीनामा पेश किया गया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में हम वादीगण एवं प्रतिवादी के लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी वाके माल खेड़ी श्यामपुरा व वाके माल हरिपुरा तह0 बारां में वर्णित आराजी का वाद पत्र की मद नं0 2 के अनुसार वादी गण एवं प्रतिवादी को खातेदार कृषक घोषित कर तद्नुरूप विधिवत विभाजन कर वादी गण एवं प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाते दर्ज किये जाने में हम वादी एवं प्रतिवादी सहमत है। मुताबिक राजीनामा दावा डिकी फरमाया जावे।

अभिभाषक गण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेड़ी श्यामपुरा व हरिपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं0 57 व 84 के अनुसार विवादित ... प्रतिवादी कम 01 के खातेदारी में

(3)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:59 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष सदस्य

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

सदस्य

है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दीयों के अनुसार विवादित आराजी पैतृक आराजी है। क्योंकि प्रतिवादी कम 01 को उक्त विवादित आराजी अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है। प्रतिवादी कम 01 द्वारा इकवाली जवाब भी पेश किया है। तथा राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित होकर अभिभाषक गणों की उपस्थिति में राजीनामा पेश किया है। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया। उनके द्वारा राजीनामा सुनकर समझकर स्वीकार किया गया तथा अपनी सहमति जाहिर की जिसकी पहचान उनके अभिभाषक गण द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी गण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम खेड़ी श्यामपुरा के ख0नं0 19 रकबा 5.88 है0 में वादी कम 1 व वादी कम 4 को 1/5, 1/5 हिस्सा एवं ग्राम हरिपुरा के ख0नं0 446 रकबा 6.21 है0 में वादी कम 2 एवं वादी कम 03 को 1/5, 1/5 हिस्से का तथा दोनों गांव की शेष बची 1/5 हिस्से की आराजी प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हि0 1/5, 1/5 का पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तद्नुरूप प्राथमिक डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 56/21	धारा अन्तर्गत 88, 89, 91, 92 ए 53 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक :–14.05.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री हरिओम चतुर्वेदी	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. कृष्ण शर्मा आयु 41 वर्ष पुत्र श्री गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण
2. राजेन्द्र शर्मा आयु 38 वर्ष पुत्र श्री गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण
3. कमल शर्मा आयु 35 वर्ष पुत्र श्री गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण
4. विकास शर्मा आयु 32 वर्ष पुत्र श्री गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण

बनाम

1. प्रेम बाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्री मोहनलाल पत्नि श्री गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी म.नं. 349, ओपेरा हॉस्पिटल के सामने, महावीर नगर–द्वितीय, कोटा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम खेड़ी श्यामपुरा के ख0नं0 19 रकबा 5.88 है0 में वादी कम 1 व वादी कम 4 को 1/5, 1/5 हिस्सा एवं ग्राम हरिपुरा के ख0नं0 446 रकबा 6.21 है0 में वादी कम 2 एवं वादी कम 03 को 1/5, 1/5 हिस्से का तथा दोनों गांव की शेष बची 1/5 हिस्से की आराजी प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हि0 1/5, 1/5 का पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 14.05.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:59 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

विविध ... लय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

आन्तम **डिक्री**

वाद संख्या 56/2021	धारा अंतर्गत 88, 89, 91, 92A, 53 RTA	निर्णय दिनांक 19-1-2023
समक्ष - श्रीमति मालविका त्यागी आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री हरिओम चतुर्वेदी		अभिभाषक प्रतिवादी श्री योगेन्द्र शर्मा

वाद शीर्षक

1- कृष्ण शर्मा पुत्र गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण
2- राजेन्द्र शर्मा पुत्र गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण
3- कमल शर्मा पुत्र गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण
4- विकास शर्मा पुत्र गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण

बनाम

1- प्रेमबाई पुत्री मोहनलाल पत्नि गंगाधर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कं.नं. उम्मेद ओपेरा हॉस्पिटल के सामने महावीर नगर द्वितीय कोटा जिला कोटा
2- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम खेडी व हरीपुरा का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	ग्राम	दिशा
1- कृष्ण शर्मा पुत्र गंगाधर जाति ब्राह्मण नि. कोटा	19	2.41	खेडी	प.द.
2- विकास शर्मा पुत्र गंगाधर जाति ब्राह्मण नि. कोटा	19	2.41	खेडी	उ.पू.
3- प्रेमबाई पुत्री मोहनलाल पत्नी गंगाधर नि. कोटा	19	1.06	खेडी	पूर्व
	446	1.39	हरीपुरा	उत्तर
4- राजेन्द्र शर्मा पुत्र गंगाधर जाति ब्राह्मण नि. कोटा	446	2.41	हरीपुरा	पूर्व
5- कमल शर्मा पुत्र गंगाधर जाति ब्राह्मण नि. कोटा	446	2.41	हरीपुरा	पश्चिम

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने व लगान निर्धारण करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 19-1-2023 को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:59 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट ... बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	भत्ता/क्षतिपूर्ति		